मंजू देवी बनाम गोपाल

214/2022

क्र.सं.	दिनांक आज्ञा या कार्यवाही	आज्ञा विस्तृत रूप से
	26/5/2024	पत्रावली पेश हुई। वकील वादी उपस्थित। बहस वकील वादी सुनी गई। तहसीलदार सांगानेर द्वारा प्रेषित फर्दजात का अवलोकन किया गया। तहसीलदार सांगानेर द्वारा प्रकरण सं. 214/2022 व 215/2022 की फर्दजात रिपोर्ट पेश/प्रस्तुत की गई में आ. वादीगण का वाद मुताबिक फर्दजात रिपोर्ट अन्तिम रूप से डिक्री किया जाता है। विस्तृत निर्णय पृथक से लिखवाया जाकर शामिल पत्रावली किया गया। पत्रावली बाद तैयार डिक्री नकल से संभव हो बाद नियमानुसार दाखिल दफ्तर हो।
		उपखण्ड अधिकारी जयपुर द्वितीय (सांगानेर)

शीट 52
..09/22

वाद पत्र

मंजू देवी
निवासी

1. गोपाल
निवासी
2. राम ना
निवासी
3. राजस्था
पता तह
4. राजस्था
पता-

वा
धा

श्रीमान् जी,

1. यह कि
भूमि खसरा
हैक्टेयर, खस
हैक्टेयर, खस
हैक्टेयर वाके
तहसील सांगा
से सम्बोधित

अंतिम डिक्री मुकदमा इब्तदाई

(ओ. 20 रूल 6–7 जाब्ता दीवानी)

पीठासीन अधिकारी का नाम : हिम्मत सिंह, आर.ए.एस.
वाद संख्या : 214/2022
वाद संख्या: 215/2022
निर्णय दिनांक : 26.04.2024

उनवान

1. मंजू देवी उर्फ भूरी देवी पुत्री नाथूराम पत्नी मुकेश जाति हरियाणा ब्राहम्ण, निवासी 10 नारायण विहार ए ब्लॉक असरपुरा त0 सांगानेर जयपुर।
2. नाथूराम पुत्र श्योनारायण जाति हरियाणा ब्राहम्ण, निवासी ग्राम जगतश्रवणपुरा पोस्ट मुहाना तह0 सांगानेर जिला जयपुर।

.....वादीगण

बनाम

1. गोपाल लाल पुत्र गंगाराम जाति हरियाणा ब्राहम्ण, निवासी ग्राम जगतश्रवणपुरा पोस्ट मुहाना तह0 सांगानेर जिला जयपुर।
2. राम नारायण पुत्र गंगाराम जाति हरियाणा ब्राहम्ण, निवासी ग्राम जगतश्रवणपुरा पोस्ट मुहाना तह0 सांगानेर जिला जयपुर।
3. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार सांगानेर, पता तहसील कार्यालय सांगानेर, जिला जयपुर।
4. राजस्थान मरूधरा ग्रामीण बैंक जरिये शाखा प्रबन्धक पता ग्राम मुहाना तह0 सांगानेर जिला जयपुर।

.....प्रतिवादीगण

दावा बाबत तकासमा व स्थायी निषेधाज्ञा अन्तर्गत धारा 53 व 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

निर्णय

यह मुकदमा आज वास्ते इनफिसाल कतई रूबरू उपखण्ड अधिकारी, सॉगानेर द्वितीय जयपुर व हाजिरी वकील वादीगण मिनजानिब मुदई रूबरू वकील प्रतिवादीगण मिनजानिब मुदायलह पेश होकर हुक्म दिया जाता है कि ग्राम जगतश्रवणपुरा पटवार हल्का मुहाना तहसील सांगानेर जिला जयपुर में स्थित वादग्रस्त कृषि भूमि खसरा नम्बर 78 रकबा 0.4700 हैक्टेयर का तकासमा मुताबिक राजस्व रिकार्ड एवं प्राप्त कुर्रेजात रिपोर्ट अनुसार निम्न प्रकार किया जाता है:–

उपखण्ड अधिकारी
जयपुर द्वितीय (सांगानेर)

क्र. सं.	खाता संख्या	राजस्व रिकार्ड जमाबन्दी के अनुसार इन्द्राज				
		खातेदार	खसरा नम्बर	रकबा	किस्म	लगान
		1. गोपाललाल पुत्र गंगाराम हिस्सा 1/4 जाति ब्राहम्ण सा देह खातेदार 2. मंजू देवी उर्फ भूरी देवी पुत्री नाथूराम पति मुकेश हिस्सा 1/2 जाति हरियाणा ब्रा0 सा0 10 नारायण विहार ए ब्लॉक असरपुरा खातेदार राहिन हिस्सा 1/2 (पूर्ण खाता) राजस्थान मरूधर ग्रामीण बैंक शाखा मुहाना 3. रामनारायण पुत्र गंगाराम हिस्सा 1/4 जाति ब्रा0 सा0 देह खातेदार	77 79 80 81 82	0.56 0.01 0.55 1.12 0.16	चाही2 जाव2 गै0मु0 चाही2 जाव2 चाही2 जाव2 चाही1	15.37 — 15.52 30.89 5.76
		कुल किता	5	2.40		67.54
		1. गोपाल पुत्र गंगाराम हिस्सा 1/4 जाति ब्राहम्ण सा देह खातेदार 2. भूरी देवी पुत्री नाथूराम पत्नी मुकेश शर्मा हिस्सा 1/2 जाति हरि0 ब्रा0 निवासी प्लाट नम्बर 10 नारायण विहार ए असरपुरा मानसरोवर जयपुर खातेदार 3. रामनारायण पुत्र गंगाराम हिस्सा 1/4 जाति हरि. ब्रा. सा. देह खातेदार	78	0.47	चाही 2	13.63
		कुल किता	1	0.47		13.63

क्र. सं.	किस्म	प्रस्तावित कुरेजात इन्द्राज				
		प्रस्तावित खातेदार	प्रस्तावित खसरा नम्बर	प्रस्तावित रकबा	लगान	रंग
1.		1. मंजू देवी उर्फ भूरी देवी पुत्री नाथूराम पति मुकेश हिस्सा सम्पूर्ण जाति हरियाणा ब्रा0 सा0 10 नारायण विहार ए ब्लॉक असरपुरा खातेदार राहिन (खसरा नम्बर 77, 78, 80 मि. 81 मि.) हिस्सा 1200/1435 राजस्थान मरूधर ग्रामीण बैंक शाखा मुहाना	77 78 80 मि. 81 मि.	0.56 0.47 0.0170 0.3880		

उपखण्ड अधिकारी
जयपुर द्वितीय (सांगानेर)

		हि. 235/1435 बिना रहन				
		कुल किता	4	1.4350		
2.		गोपाललाल पुत्र गंगाराम हि0 1/2 जाति हरि0 ब्रा0 सा0 देह खातेदार रामनारायण पुत्र गंगाराम हि0 1/2 जाति हरियाणा ब्राहम्ण सा0 देह खातेदार	79 80 81 82	0.01 0.5330 0.7320 0.16		
			4	1.4350		

तहसीलदार सांगानेर को आदेश दिया जाता है कि उपरोक्तानुसार विवादग्रस्त आराजी का तकासमा मुताबिक कुर्रेजात रिपोर्ट किया जाकर अलग–अलग खाता व लगान कायम किये तथा कुर्रेजात रिपोर्ट व नक्शे की प्रति बाद अनुमोदन उपरोक्तानुसार राजस्व रिकार्ड में अमलदरामद किया जाने हेतु तहसीलदार सांगानेर को भिजवाई जावे।

खर्चा इस मुकदमे के मय शूद बशरह..................फीसदी सालाना आज की तारीख से तारीख अदायगी तक ....का अदा करें।

बसब्त मेरे दस्तखत व मुहर अदालत के आज तारीख 26.04.2024 को जारी की गई।

मुहर

दस्तखत .....

ओहदा ....

मुदई	रुपये	पैसे	मुदायलह	रुपये	पैसे
स्टाम्प अर्जी दावा स्टाम्प वकालत नामा स्टाम्प वह सबूत महन्ताना वकील खर्चा गवाहान फीस कमिश्नर बाबत इजराय हुक्मनामा मुतफरिक	1	00	स्टाम्प अर्जी दावा स्टाम्प अर्जी महन्ताना वकील खर्चा गवाहान फीस कमिश्नर बाबत इजराय हुक्मनामा मुतफरिक	1	00
मीजान			मीजान		

नोट : इस खर्चा के फार्म पर कुल खर्चा हर दी फरीकेत का चाहे डिगरी के जरिये दिखाया गया हो या नहीं, दर्ज करना चाहिए।

उपखण्ड अधिकारी
जयपुर द्वितीय (सांगानेर)

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, जयपुर–द्वितीय(सांगानेर)जयपुर

पीठासीन अधिकारी का नाम : हिम्मत सिंह, आर.ए.एस.
वाद संख्या : 214/2022
वाद संख्या: 215/2022
निर्णय दिनांक : 26.04.2024

उनवान

1. मंजू देवी उर्फ भूरी देवी पुत्री नाथूराम पत्नी मुकेश जाति हरियाणा ब्राहम्ण, निवासी 10 नारायण विहार ए ब्लॉक असरपुरा त0 सांगानेर जयपुर।
2. नाथूराम पुत्र श्योनारायण जाति हरियाणा ब्राहम्ण, निवासी ग्राम जगतश्रवणपुरा पोस्ट मुहाना तह0 सांगानेर जिला जयपुर।

.....वादीगण

बनाम

1. गोपाल लाल पुत्र गंगाराम जाति हरियाणा ब्राहम्ण, निवासी ग्राम जगतश्रवणपुरा पोस्ट मुहाना तह0 सांगानेर जिला जयपुर।
2. राम नारायण पुत्र गंगाराम जाति हरियाणा ब्राहम्ण, निवासी ग्राम जगतश्रवणपुरा पोस्ट मुहाना तह0 सांगानेर जिला जयपुर।
3. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार सांगानेर, पता तहसील कार्यालय सांगानेर, जिला जयपुर।
4. राजस्थान मरूधरा ग्रामीण बैंक जरिये शाखा प्रबन्धक पता ग्राम मुहाना तह0 सांगानेर जिला जयपुर।

.....प्रतिवादीगण

दावा बाबत तकासमा व स्थायी निषेधाज्ञा अन्तर्गत धारा 53 व 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

निर्णय

वादीगण ने दो वाद पत्र बाबत तकासमा व स्थाई निषेधाज्ञा अन्तर्गत धारा 88, 53 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 का पेश किया। न्यायालय द्वारा वादीगण के वाद में दिनांक 05.10.2023 को प्राथमिक डिक्री जारी कर तहसीलदार तहसील सांगानेर को निर्देशित किया गया कि ग्राम जगतश्रवणपुरा पटवार हल्का मुहाना तहसील सांगानेर जिला जयपुर में स्थित वादग्रस्त कृषि भूमि खसरा नम्बर 78 रकबा 0.4700 हैक्टेयर एवं खसरा नम्बर 77 रकबा 0.5600 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 79 रकबा 0.0100 हैक्टेयर खसरा नम्बर 80 रकबा 0.5500 हैक्टेयर खसरा नम्बर 81 रकबा 1.12600 हैक्टेयर खसरा नम्बर 82 रकबा 0.1600 हैक्टेयर कुल किता 05 कुल रकबा 2.40 हैक्टेयर का तहसीलदार सांगानेर का निर्देशित किया जाता है कि उभयपक्षों की

उपखण्ड अधिकारी
जयपुर द्वितीय (सांगानेर)

उपस्थिति में भूमि का बाई मिट्स एण्ड बाउण्ड्स के आधार पर तकासमा किया जाकर वादी का हक व हिस्सा एवं भूमि का लगान अलग से कायम किया जावे तथा खाता अलग से कायम किया जाकर कुरेजात रिपोर्ट मय नक्शा तीन–तीन प्रतियों में तैयार करवाकर इस न्यायालय को दिनांक 26.10.2023 से पूर्व भिजवाया जावे। तहसीलदार सांगानेर को कुर्रेजात रिपोर्ट मय नक्शा तीन तीन प्रतियों मे पेश किये जाने का आदेश पारित किया जिस पर तहसीलदार सांगानेर द्वारा पत्र कमाक भु0अ0/कुर्रेजात/2024/1279 दिनॉक 14.12.2024 के संलग्न कुर्रेजात रिपोर्ट मय नक्शे तीन प्रतियो मे प्रस्तुत की जो शामिल मिसल है।

यह कि उनवानी प्रकरण नाथूराम बनाम गोपाल व अन्य में वादी नाथूराम द्वारा अपनी पुत्री मंजू उर्फ भूरी देवी के हक में अपनी सम्पत्ति का उपहार किये जाने का कथन किया है तथा अपने कथन के समर्थन में पंजिबद्ध उपहार पत्र की प्रति प्रस्तुत की जिसके अवलोकन से स्पष्ट होता है कि अब नाथूराम के स्थान पर उसकी पुत्री प्रतिस्थापित हो गई है। चूंकि मन्जू उर्फ भूरी द्वारा भी वाद बाबत् तकासमा लम्बित है। अतः दोनो ही वाद को एक साथ सम्मिलित कर निर्णय किया जाना उचित प्रतित होता है। तहसीलदार सांगानेर द्वारा भी उनवानी प्रकरण संख्या 214/2022 एवं 215/2022 के बाबत् एक ही कुर्रेजात रिपोर्ट प्रेषित की गई है। जिसके आधार पर दोनो ही प्रकरणों का एक साथ निस्तारण किया जा रहा है।

वकील वादी उपस्थित, वकील वादी की बहस अंतिम कुर्रेजात रिपोर्ट पर सुनी गई। वकील वादी ने अपनी बहस में तहसीलदार से प्राप्त कुर्रेजात रिपोर्ट अनुसार अंतिम डिक्री जारी करने हेतु निवेदन किया है। हमने बहस वादी अधिवक्ता, पत्रावली व राजस्व रिकार्ड एवं तहसीलदार सांगानेर से प्राप्त कुर्रेजात रिपोर्ट का अधोपान्त अवलोकन करने व बहस का सगौर मनन करने पर वाद वादीगण तहसीलदार सांगानेर से प्राप्त कुर्रेजात रिर्पोट मुताबिक वाद अंतिम डिक्री किया जाना न्यायोचित प्रतीत होता है।

अतः वाके ग्राम जगतश्रवणपुरा पटवार हल्का मुहाना तहसील सांगानेर जिला जयपुर में स्थित वादग्रस्त कृषि भूमि खसरा नम्बर 78 रकबा 0.4700 हैक्टेयर का तकासमा मुताबिक राजस्व रिकार्ड एवं प्राप्त कुर्रेजात रिपोर्ट अनुसार निम्न प्रकार किया जाता है:–

क्र. सं.	खाता संख्या	राजस्व रिकार्ड जमाबन्दी के अनुसार इन्द्राज				
		खातेदार	खसरा नम्बर	रकबा	किस्म	लगान
1		1. गोपाललाल पुत्र गंगाराम हिस्सा 1/4 जाति ब्राहम्ण सा देह	77	0.56	चाही2 जाव2	15.37

उपखण्ड अधिकारी
जयपुर द्वितीय (सांगानेर)

		खातेदार 2. मंजू देवी उर्फ भूरी देवी पुत्री नाथूराम पति मुकेश हिस्सा 1/2 जाति हरियाणा ब्रा0 सा0 10 नारायण विहार ए ब्लॉक असरपुरा खातेदार राहिन हिस्सा 1/2 (पूर्ण खाता) राजस्थान मरूधर ग्रामीण बैंक शाखा मुहाना 3. रामनारायण पुत्र गंगाराम हिस्सा 1/4 जाति ब्रा0 सा0 देह खातेदार	79 80 81 82	0.01 0.55 1.12 0.16	गै0मु0 चाही2 जाव2 चाही2 जाव2 चाही1	— 15.52 30.89 5.76
		कुल किता	5	2.40		67.54
		1. गोपाल पुत्र गंगाराम हिस्सा 1/4 जाति ब्राहम्ण सा देह खातेदार 2. भूरी देवी पुत्री नाथूराम पत्नी मुकेश शर्मा हिस्सा 1/2 जाति हरि0 ब्रा0 निवासी प्लाट नम्बर 10 नारायण विहार ए असरपुरा मानसरोवर जयपुर खातेदार 3. रामनारायण पुत्र गंगाराम हिस्सा 1/4 जाति हरि. ब्रा. सा. देह खातेदार	78	0.47	चाही 2	13.63
		कुल किता	1	0.47		13.63

		प्रस्तावित कुरेजात इन्द्राज				
क्र. सं.	किस्म	प्रस्तावित खातेदार	प्रस्तावित खसरा नम्बर	प्रस्तावित रकबा	लगान	रंग
1.		1. मंजू देवी उर्फ भूरी देवी पुत्री नाथूराम पति मुकेश हिस्सा सम्पूर्ण जाति हरियाणा ब्रा0 सा0 10 नारायण विहार ए ब्लॉक असरपुरा खातेदार राहिन (खसरा नम्बर 77, 78, 80 मि. 81 मि.) हिस्सा 1200/1435 राजस्थान मरूधर ग्रामीण बैंक शाखा मुहाना हि. 235/1435 बिना रहन	77 78 80 मि. 81 मि.	0.56 0.47 0.0170 0.3880		
		कुल किता	4	1.4350		
2.		गोपाललाल पुत्र गंगाराम हि0 1/2 जाति हरि0 ब्रा0 सा0 देह	79 80	0.01 0.5330		

उपखण्ड अधिकारी
जयपुर द्वितीय (सांगानेर)

		खातेदार रामनारायण पुत्र गंगाराम हि0 1/2 जाति हरियाणा ब्राहम्ण सा0 देह खातेदार	81 82	0.7320 0.16		
			4	1.4350		

तहसीलदार सांगानेर को आदेश दिया जाता है कि उपरोक्तानुसार विवादग्रस्त आराजी का तकासमा मुताबिक कुर्रेजात रिपोर्ट किया जाकर अलग–अलग खाता व लगान कायम किये तथा कुर्रेजात रिपोर्ट व नक्शे की प्रति बाद अनुमोदन उपरोक्तानुसार राजस्व रिकार्ड में अमलदरामद किया जाने हेतु तहसीलदार सांगानेर को भिजवाई जावे। इसी अनुरूप अन्तिम डिक्री जारी हो।

निर्णय आज दिनांक 26.04.2024 को खुले न्यायालय में सरे आम सुनाया गया।

(हिम्मत सिंह)
उपखण्ड अधिकारी,
जयपुर–द्वितीय (सांगानेर),
जयपुर